



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 11.09.2023

1.थाना बीटा-2 पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा चार शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग कम्पनियों की कुल 233 बोतल हरियाणा मार्का बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 11.09.2023 को थाना बीटा-2 पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये शराब तस्कर अभियुक्तों 1. तीर्थाकर दत्ता पुत्र भोलानाथ दत्ता 2. सुमन पुत्र जितेन्द्र मंडल 3. बन्नी राउत पुत्र चन्द्रशेखर राउत 4. राहुल पुत्र स्वर्गहरी को वेनिस मॉल थाना क्षेत्र बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से अलग-अलग कम्पनियों की कुल 233 बोतल एवं केन अवैध शराब/बीयर हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त ग्रांड वेनिस मॉल के प्रथम तल पर स्थित फाईव आयरन गोल्फ जो कि होच पार्टनर्स लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा संचालित है, के अंदर अवैध रूप से अन्य प्रान्त की मदिरा फुटकर में बिक्री कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विवरण--

1. तीर्थाकर दत्ता पुत्र भोलानाथ दत्ता नि0 ग्राम अशोक नगर थाना अशोक नगर जिला नार्थ 24 परगना पश्चिमी बंगाल
2. सुमन पुत्र जितेन्द्र मंडल निवासी ग्राम वर्धमान थाना वर्धमान जिला वर्धमान राज्य पश्चिमी बंगाल
3. बन्नी राउत पुत्र चन्द्रशेखर राउत निवासी ग्राम झारग्राम पोस्ट झारग्राम जिला झारग्राम राज्य पश्चिमी बंगाल
4. राहुल पुत्र स्वर्गहरी निवासी ग्राम मांझा पोस्ट मांझा जिला कारवी आंगलॉग राज्य असम

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 472/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. अलग-अलग कम्पनियों की कुल 233 बोतल एवं केन अवैध शराब/बीयर हरियाणा मार्का बरामद ।

2.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 11/09/2023 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 128/2023 धारा 323,308 भादवि0 के अंतर्गत वांछित अभियुक्त मनवीर उर्फ मन्नू पुत्र श्री किशन नि0 ग्राम झुप्पा थाना जेवर,गौतमबुद्धनगर को अभियुक्त के निवास से **गिरफ्तार** कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.08.2023 को वादिया के भाई पर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना जेवर पर मु0अ0सं0 128/2023 धारा 323,308 भादवि0 बनाम 1. मनवीर उर्फ मन्नू पुत्र श्री किशन व अज्ञात साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थाना रबूपुरा से की जा रही थी।विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 308 भादवि का विलोपन कर धारा 307 भादवि की बढोतरी की गयी। अभियुक्तों द्वारा, वादिया के भाई को किसी काम के बहाने सुनसान जगह पर ले जाने व जानलेवा हमला कर घटना को अंजाम देना।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विवरण--

1. मनवीर उर्फ मन्नू पुत्र श्री किशन नि० ग्राम झुप्पा ,थाना जेवर,गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु०अ०सं० 128/2023 धारा 323,307 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर